अनवान भीमाराम उर्फ भीमाजी के का.मु. V/S त्रिकमाराम
मुकदमा नंबर 48 / 2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.24	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इसलिए होकर पत्रावली दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।	
18.10.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी(प्रतिवादी) अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेज साक्ष्य सबूतो का अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी(प्रतिवादी) अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त प्रकरण में सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा विप्रार्थी (वादी) के द्वारा पेश घोषणा व बंटवाडा के वादपत्र में बाद सुनवाई राजस्व वाद संख्या 100/2001 के जरिये दिनांक 05.11.2003 को बंटवाडा का वादपत्र स्वीकार करते हुए आंशिक डिक्री पारित की थी जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के सक्षम विप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपील पेश करने पर दरम्यान अपील प्रार्थी(प्रतिवादी) के अनुपस्थित रहने से राजस्व अपील संख्या 69/2003 के जरिये दिनांक 22.01.2004 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार सिवाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने का निर्णय पारित किया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी(प्रतिवादी) द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो अपील संख्या 134/2004 के जरिये विचाराधीन थी मगर उपरोक्त अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में निस्तारित होने पर विप्रार्थी(वादी)के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने एवं सहायक कलक्टर बालोतरा में विचाराधीन वाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी में निस्तारित करवा दिया गया इस दरम्यान् राजस्व मण्डल में पुनः अपील सुनवाई में लिये जाने के पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या 2805/2006 के जरिये अपील में सुनवाई करते हुए दिनांक 04.10.2023 को निर्णय पारित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के निर्णय व डिक्री के अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी नहीं होने से पूर्व वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में निस्तारित होने से उपरोक्त निर्णय व डिक्री को प्रभावहीन होना मानते हुए अपील खारिज की गई जिस पर प्रार्थी प्रार्थी(प्रतिवादी) द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया चूंकि पत्रावली पर पेश तथ्यों के अनुरूप राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के द्वारा अपील संख्या 69/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2004 की पालना में अन्तिम डिक्री निस्तारित नहीं होने एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन रहने के दरम्यान् सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष विचाराधीन वाद 100/2001 दिनांक 30.07.2007 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में निस्तारित किये जाने से प्रार्थी(प्रतिवादी) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र कानून स्वीकार करने योग्य है, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचारधीन रहते कानूनन वादपत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि वर्ष 2010 में सहायक कलक्टर सिवाना का पद [illegible] प्रकरण अज अदालत के क्षेत्राधिकार का होने से प्रार्थी द्वारा [illegible] पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली राजस्व वाद [illegible] 100/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2003 की पत्रावली सहायक कलक्टर बालोतरा से तलब की जावे । इस बाबत तहरीर अलग से [illegible] हो। पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर नये सिरे से दर्ज किया जाकर सुनवाई में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना जिला बालोतरा

/2024/1067 दिनांकः– 18-10-2024

सहायक कलक्टर बालोतरा

विषयः– राजस्व वाद सं. 100/2001 निर्णय दिनांक 05.11.2003 वादी लिकमाराम बनाम प्रतिवादीगण भीमाराम वगैरा सहायक कलक्टर बालोतरा की पत्रावली एवं रेकर्ड भेजने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अज अदालत में पत्रावली को पुनः सुनवाई लिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र, पेश किया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया बाद सुनवाई मूल प्रकरण पुनः सुनवाई में लिये जाने के आदेश पारित किये गये चूंकि मूल पत्रावली आपके न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2007 को निर्णित करने के पश्चात प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 04.10.2023 को अपील का निस्तारण करते हुए मूल पत्रावली पुनः आपको प्रेषित की गई जो आपके रेकर्ड में जमा है ,जिसे नियमित सुनवाई में लिया जाना है।

अतः निवेदन है कि राजस्व प्रकरण सं. 100/2001 निर्णय दिनांक 05.11.2003 वादी लिकमाराम बनाम प्रतिवादीगण भीमाराम वगैरा की मूल पत्रावली इस न्यायालय में प्रेषित करने का श्रम करावे।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर सिवाना
जिला बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)
सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:38 IST
Reason: SelfAttested